



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1242]
No. 1242]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2006/आश्विन 25, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2006/ASVINA 25, 1928

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1776(अ).—घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005 (2005 का 43) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा अक्टूबर, 2006 के छब्बीसवें दिन को ऐसी तारीख नियत करती है, जिससे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. 19-3/2005-डब्ल्यू डब्ल्यू]

पारुल देबी दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2006

S. O. 1776(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005) the Central Government hereby appoints the 26th day of October, 2006, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 19-3/2005-WW]

PARUL DEBIDAS, Jt. Secy.